कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना श्याम नगर जयपुर दक्षिण जयपुर ।।

कमांक   दिनांक

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त,
सोडाला जयपुर।

विषय – 181 **पोर्टल पर** प्राप्त की जांच रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने बाबत।

प्रसंग– श्रीमान के कार्यालय पत्रांक ईमेल दिनांक12.9.18 की अनुपालना में ।

महोदय,

उपरोक्त विसयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 8.8.18 को परिवादी श्री संजय कुमार जोशी पुत्र श्री मनमोहन जोशी जाति ब्राहमण उम्र 48 साल निवासी 148नगर न्यू सांगानेररोड थाना श्याम नगर जयपुर ने एक रिपोर्ट तहरीरी इस आशय की पेश की कि'' मैं दिनांक 01/08/18 को दोपहर 4:20 PM की ट्रेन से अमृतसर गया था वहां मेरी सासू जी का देहांत हो गया था। जयपुर मेरे घर 148 कटेवा नगर पर कोई नहीं था ताला लगाकर मैं चला गया था। दिनांक 06/8/18 को सुबह 8:45 am पर मेरे पड़ोसी का मेरे मोबाइल पर फोन आया कि आपके घर का मुख्य ताला तो लगा है लेकिन पोर्च के दोनों दरवाजा खुला है मैंने तुरंत अपने स्टाफ साथी को फोन किया वह घर पर आये देखा तो चोरी की वारदात ही नजर आयी फिर उन्होंने बाजार से नये ताले खरीद कर ताले लगा दिये। मैंने अपना दिनांक 07/8/18 का रिजर्वेशन कैंसिल करवा कर दिनांक 06/8/18 को ही दोपहर अमृतसर से रवाना होकर 07/8/18 को सुबह 7:00 am पर मेरे जयपुर घर पहुंच गया। जयपुर आने के बाद मैंने अपना पूरा घर देखा तो पाया कि लगभग सभी ताले तोड़े हुये व सभी सामान अस्त-व्यस्त व बिखरा पड़ा था तत्पश्चात मैंने आपके थाने में बताया आपके विभाग के अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी एवं थाना प्रभारी व फिंगर प्रिंट लेने वाले अधिकारी सभी घर पर आये त्तपश्चात आपने मुझे सामान जो चोरी हुआ है वह विवरण देने को कहा और बोला आप FIR लिखवा दो जितना मुझे संज्ञान में आया वो सूची में संलग्न कर रहा हूं । कृपया आप से निवेदन है कि fir दर्ज करवाने की कृपा करें व अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रम करें। संलग्न 1. जो सामान चोरी हुआ उसकी सूची 2. लैपटॉप बिल, 3. कैमरे का बिल मो.नं. 9460 889917 एसडी संजय कुमार जोशी 148 कटेवा नगर सोडाला जयपुर जो सामान चोरी हुआ उसकी सूची निम्नानुसारः- 1) लैपटॉप HP GREY COLOUR (AY079TX CI3/5G/8GB/) – 15.6" inch , 2.) कैमरा निकोन (S6200 70010178), 3.) नगदी लगभग 80,000-/ जिसमे नये नोट के पैकिट RS 50, RS 20, RS 10, RS 5, RS 1 व चिल्लर एवं 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 व 5 के खुले नोट थे, 4.) पुरानी टुटी फुटी चांदी (हर तरह की) लगभग 500 gm, 5.) चांदी की 10 से 14 अंगूठीयां, चांदी के सिक्के 7, चांदी की पायजेब -1, बिछीया 5 जोड़ी, चांदी के सेट (2)– हार, कानों के, अंगूठी, चूड़ी, मंगलसूत्र, चाबी का सटका इन सभी पर गोल्ड पॉलिस थी, 6.) सोने के नाक का लॉग-5 नग, सोने के कान के टॉप्स- 2 जोड़ी, कुछ टूटा-फूटा सोना लगभग 5 gm, 7.) तनिष्क के सिल्वर सेट-2 (कटोरी-4,ट्रे-2, चम्मच-4) , 8.) मोबाइल सैमसंग का नया

keypad वाला जितना मालुम था उतना उपरोक्त नोट कर दिया है भूलवस कुछ सामान याद नहीं है। आदि रिपोर्ट पर अभियोग सं0 369/18 धारा 457, 380 भादसं में पंजीबद्व किया जाकर तफतीश तत्कालीन उ0नि0 रामपाल द्वारा की गयी । दौराने तफतीश परिवादी श्री संजय कुमार जोशी व उनकी पत्नी श्रीमति सरीता जोशी के बयान हस्बदफा 161 सीआरपीसी में लेखबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये । घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका कसीद किया गया। थाना हाजा पर पंजीबद्व अभियोगों में गिर0शुदा अभियुक्तगणों से प्रकरण हाजा के माल मुल्जिमान के बारे में तफतीश की जाकर पूछताछ नोट मुर्तिब किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये । चालानशुदा अपराधियों को तलब कर पूछताछ की गई । माल मुल्जिमान की तलाश ईलाका थाना क्षेत्र एवं जयपुर के दीगर क्षेत्रों में गई परन्तु बाबजूद अथक प्रयासों के माल मुलजिमान का आज तक कोई पता नहीं चल सका है । तत्पश्चात उ0नि0 रामपाल का स्थानान्तरण होने पर प्रकरण का अनुसंधान श्री राजकुमार सउनि के सुपुर्द किया गया है । प्रकरण में तलाश माल मुल्जिमान जारी है ।

प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट वर्तमान स्थिति के अनुसार हस्बकायदा मुर्तिब की जाकर अवलोकनार्थ पेश है ।

भवदीय

थानाधिकारी

पुलिस थाना श्याम नगर
जयपुर दक्षिण